

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

सत्र प्रकरण क्रमांक: 222 / 2011

संस्थित दिनांक-24.08.2011

फाइलिंग नं.-230303001592011

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

वि रू द्ध

- 1- कप्तान सिंह पिता वीरसिंह यादव
उम्र-25 साल, निवासी ईदगाह मोहल्ला दतिया
- 2- राकेश यादव पिता ग्यादीन यादव
उम्र 48 साल
समर्थ नगर गोले का मंदिर ग्वालियर
- 3- हरेन्द्र निगम पिता रमेशचन्द्र निगम ,
निवासी ललितपुर कालौनी ग्वालियर
-----आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक
आरोपीगण हरेन्द्र एवं राकेश द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
आरोपी कप्तान सिंह द्वारा श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता ।

-::- निर्णय -::-

(आज दिनांक 16 अप्रैल 2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 420/34, 467/34, 468/34 एवं धारा-506 भाग-2 भा0द0वि0 के तहत यह आरोप है कि उन्होंने माह नवम्बर 2009 से 28/3/11 के दरम्यान नामधारी मेडीकल स्टोर गोहद चौराहा के दुकानदार जगदीश सिंह नामधारी से बेईमानीपूर्वक रूपये प्राप्त करने के लिए आपस में मिलकर आरोपी हरेन्द्र निगम ने अस्तित्वहीन कैरिऑन हैल्थ केयर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का स्वयं का रीजनल सेल्स मैनेजर एवं आरोपी आर.के. यादव उर्फ राकेश यादव तथा आरोपी कप्तान सिंह यादव ने रीजनल सेल्स मैनेजर बताते हुए 12000 रूपये स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के बैंक खाता क्रमांक 63035713146 में दिनांक-18/12/09 को उक्त कंपनी में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के पद पर नियुक्त कराने और 15000 रूपये मासिक वेतन देने व कंपनी की ऐजेन्सियां खुलवाने

के एवज में प्रत्येक ऐंजेसी के लिए 2250 रुपये के हिसाब से ऐंजेन्सी बोनस दिलाये जाने का प्रलोभन देकर उसके द्वारा खुलवायी गयी 37 ऐंजेसियों के रूप में कुल एक लाख तिरपन हजार नौ सौ बीस रुपये एवं एक लाख पचपन हजार रुपये की दवाईयां प्रदाय करने एवं ऐंजेसी होल्डर को 11 माह का मासिक किराया दिलाने तथा कागज मेल अखबार का ब्यूरोचीफ बनाने और उसके लिए बारह हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह वेतन देने का वायदा कर अखबार विक्रेता नियुक्त करने का भी प्रलोभन दिया । अखबार के नवीन ग्राहकों से दो हजार रुपये प्रति ग्राहक के हिसाब से दस हजार रुपये एवं मांगपत्र अखबार मंगाने हेतु 28,800/— रुपये कुल राशि 1, 91, 800 रुपये जमा कराकर और उसके एवज में कुछ भी राशि/वेतन/बोनस न देकर तथा किसी प्रकार की कोई युक्ति न देकर प्रवंचना द्वारा उसके साथ छल कारित किया एवं उपरोक्त कृत्य करके बेईमानीपूर्वक अस्तिवहीन कैरिऑन हैल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर मूल्यवान प्रतिभूतियों की कूट रचना स्वयं को लाभ पहुंचाने के आशय से किया तथा बेईमानीपूर्वक अस्तिवहीन कैरिऑन हैल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर मूल्यवान प्रतिभूतियों की कूट रचना स्वयं को लाभ पहुंचाने के आशय से एवं छल के प्रयोजन से की एवं फरियादी द्वारा जमा किए गये 1, 91,800/—रुपये (एक लाख इन्कयान्वे हजार आठ सौ रुपये)वापिस मांगने पर उसे भयोप्रद कर जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित स्वीकृत तथ्य है कि आरोपीगण एवं फरियादी कैरिऑन हैल्थ केयर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में कर्मचारी रहे हैं एवं यह भी निर्विवादित स्वीकृत है कि उक्त कंपनी में संजू बंसल, गुरुदयाल बंसल, विनोद दुबे, लाखन सिंह, शैलेन्द्र प्रजापति और अरविंद शर्मा ने उक्त कंपनी में अपने रुपये जमा किए थे । तथा यह भी स्वीकृत तथ्य है कि विचारण के दौरान मामले के फरियादी जगदीश सिंह नामधारी का आरोपीगण से राजीनामा होने से के उसके पार्ट तक के अपराध धारा-420/34 भा.दं.वि. के आरोपों से आरोपीगण को दोषमुक्त किया जा चुका है।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी जगदीश सिंह नामधारी द्वारा सांसद श्री नरेन्द्र तोमर को धोखाधड़ी करने बाबत पेश किया कि फरियादी गोहद चौराहा पर मेडीकल की दुकान किए है, आरोपीगण द्वारा कैरिऑन हैल्थ केयर कंपनी के कर्मचारीगण होना बताते हुए आरोपीगण के खाता

क्रमांक-63035713146 में दि.-18/12/2009 को आरोपी कप्तान सिंह के खाते में 12,000/- किट हेतु एडवांस डाले गये, आरोपी आर0के0 यादव से पैसे मांगे जाने पर उसने कहा कि वह फौजी है, अपनी राइफल से गोली मार देगा । आरोपीगण द्वारा फरियादी को उक्त कंपनी में असिस्टेंट्स सैल्स मैनेजर के पद पर ज्योनिंग पत्र दिया व मासिक वेतन 15000 रुपये पर नियुक्ति दी गयी । उसने कंपनी के साथ 1 जनवरी 2009 से जुलाई 2010 तक कार्य किया लेकिन उसे न तो वेतन दिया न प्रत्येक ऐजेंसी के 2250/-रुपये के हिसाब से जो बॉनस देने का वायदा किया था वह भी नहीं दिया और आरोपीगण द्वारा कहा कि 4160/-रुपये के हिसाब से पैसे हमारे यहां जमा करवाओ तो हम आपका वेतन देंगे । तब फरियादी द्वारा 37 ऐजेंसियों के रूप में कुल 1,53,920/-रुपये जमा कराये तब आरोपीगण द्वारा यह कहा कि वह प्रत्येक ग्राहक को 1,55,000 रुपये दवाईयां देंगे साथ ही उन ग्राहकों को 7,500/-रुपये ऐजेंसी होल्डर के रूप में 11 माह का मासिक किराया देंगे । लेकिन आवेदन प्रस्तुति दिनांक तक न तो उसे दवाई दी न ही ग्राहकों का जमा पैसा वापिस किया और कई बार वेतन मांगने पर फरियादी को 5000 रुपये दिये और बाकी पैसे देने का वायदा करते रहे और वायदे से मुकरते रहे, और बाद में पैसा देने से बिल्कुल मना करते हुए कहा कि अभी बैंक लोन फायनेंस नहीं कर रही है तब आरोपीगण द्वारा फरियादी को नागरिक मेल अखबार में काम करने की कहा गया और उसका बीरो चीफ बनाना कहा तथा कहा कि जैसे ही उसका अखबार विकेगा उसके माध्यम से हम आपको पैसा और वेतन दे देंगे । तब फरियादी द्वारा नये ग्राहक पुनः बनाये गये और ग्राहकों से 2000 रुपये प्रतिग्राहक के हिसाब से दस हजार रुपये जमा कराये गये एवं आरोपी केदार ने 28800/-रुपये कंपनी में अखबार मंगाने हेतु जमा किए, किन्तु आज तक आरोपीगण द्वारा फरियादी को वेतन नहीं दिया गया । अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का निवेदन आवेदनपत्र में किया है ।

4. उक्त आवेदनपत्र एस.डी.ओ.पी. गोहद की ओर भेजा गया, तत्पश्चात् एस.डी.ओ.पी. गोहद द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज करने बाबत निर्देश दिया गया, जिसपर से एस.डी.ओ.पी. गोहद के पत्र क्रमांक-सी.जे./1जी.पी./2/11 दिनांक-26/3/2011 के पालन में थाना गोहद चौराहा पर अपराध क्रमांक-33/2011 अंतर्गत धारा-420, 506 बी भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श** पी.-02 लेख की गयी । तत्पश्चात् सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।

5. जे0एम0एफ0सी0, गोहद श्री सुशील कुमार, द्वारा प्रकरण उपार्पित किए जाने पर मा0 सत्र खण्ड भिण्ड से अंतरित होकर विचारण हेतु प्राप्त हुआ ।

6. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपीगण पर धारा-420/34, 467/34, 468/34 एवं धारा-506 भाग-2 भा0द0वि0 के

तहत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया । धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिश के कारण झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। आरोपीगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया है ।

7. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1- क्या, आरोपीगण ने माह नवंबर-2009 से दिनांक 28.03.11 के दरम्यान नामधारी मेडिकल स्टोर गोहद चौराहा के दुकानदार जगदीशसिंह नामधारी से बेईमानीपूर्वक रूपये प्राप्त करने के लिये सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर उसे हरेन्द्र निगम ने अस्तित्वहीन कैरिऑन हैल्थ केयर कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का स्वयं को रीजनल मैनेजर एवं आर0के0यादव उर्फ राकेश यादव तथा कप्तानसिंह यादव ने रीजनल सैल्स मैनेजर बताते हुए 12000/-रूपये तथा उनके स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के बैंक खाता क्रमांक-63035713146 में दिनांक 18.12.09 को उक्त कंपनी में असिस्टेन्ट सैल्स मैनेजर के पद नियुक्त कराने और 15000/-रूपये मासिक वेतन देने व कंपनी की एजेन्सियाँ खुलवाने के ऐवज में प्रत्येक एजेन्सी के लिये 2250 रूपये के हिसाब से एजेन्सी बोनस दिलाये जाने का प्रलोभन देकर उसके द्वारा खुलवाई गई 37 एजेन्सियों के रूप में कुल 1,53,920/-रूपये एवं 1,55,000/-रूपये की दवाईयाँ प्रदाय करने एवं एजेन्सी होल्डर को 11 माह का मासिक किराया दिलाने तथा कागज मेल अखबार का ब्यूरो चीफ बनाने और उसके लिये 12,500/-रूपये प्रतिमाह वेतन देने का वायदा कर अखबार विक्रेता नियुक्त करने का प्रलोभन दिया। तथा अखबार के नवीन ग्राहकों में से दो हजार रूपये प्रति ग्राहक के हिसाब से दस हजार रूपये एवं मांग पत्र अखबार मंगाने हेतु 28,800/-रूपये कुल राशि 1,91,800/-रूपये जमा कराकर और उसके ऐवज में कुछ भी राशि/बोनस/वेतन न देकर तथ किसी प्रकार की कोई युक्ति न देकर प्रवंचना द्वारा उसके साथ छल कारित किया?

2- क्या, उक्त सुसंगत घटना में आरोपीगण ने अपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी जगदीशसिंह नामधारी के साथ उपरोक्त प्रकार का कृत्य करके बेईमानीपूर्वक अस्तित्वहीन कैरिऑन हैल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड के नाम से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मूल्यवान प्रतिभूतियों की कूट रचना स्वयं को लाभ पहुंचाने के आशय से की?

3- क्या, उक्त सुसंगत घटना में आरोपीगण ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी जगदीशसिंह नामधारी के साथ उपरोक्त प्रकार का कृत्य करके बेईमानीपूर्वक अस्तित्वहीन कैरिऑन हैल्थ केयर

प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मूल्यवान प्रतिभूतियों की कूट रचना स्वयं को लाभ पहुंचाने के आशय से एवं छल के प्रयोजन से की ?

4— क्या, उक्त सुसंगत घटना में आरोपीगण ने जमा किये गये 1,91,800/—रूपये वापिस मांगने पर फरियादी जगदीशसिंह नामधारी को भयोप्रद कर जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

8. अभियोजन की ओर से प्रकरण में उदयसिंह (अ0सा0-01), जगदीश नामधारी (अ0सा0-2), संजू बंसल (अ0सा0-3), केदारप्रसाद शर्मा (अ0सा0-4) गिरीश कुमार कवरेती (अ0सा0-5), बॉबी गुप्ता (अ0सा0-6), नीरज गुप्ता (अ0सा0-07), गुरुदयाल (अ0सा0-08), शैलेन्द्र कुमार प्रजापति (अ0सा0-09), विनोद दुबे (अ0सा0-10) उमाशंकर शर्मा (अ0सा0-11), राजेन्द्र वर्मा (अ0सा0-12), बी0एल0 बंसल (अ0सा0-13) एवं नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी (अ0सा0-14) की साक्ष्य कराई है । आरोपीगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। एवं अभियोजन की ओर से प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-50 के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं जबकि आरोपीगण की ओर से प्र0डी0-1 व प्र0डी0-2 के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं।

—::—निष्कर्ष के आधार :—

—::— विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1, 2, 3 व 4 का निराकरण —::—

9. उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एकसाथ किया जा रहा है।
10. कथानक मुताबिक जो घटना बताई गई है उसमें मूलतः इस आशय का घटनाक्रम बताया गया है कि आरोपी हरेन्द्र केरिऑन हैल्थ केयर कं0 लि0 का आरोपी आर0के0यादव, राकेश यादव, और कप्तानसिंह उक्त कंपनी के रीजनल सैल्स मेनेजर बताते हुए फरियादी जगदीशसिंह नामधारी जिसकी गोहद चौराहा पर मेडिकल स्टोर की दुकान है, उसके पास आया और उसे अपना और कंपनी का परिचय देते हुए उसे कंपनी के असिस्टेंट सैल्स मेनेजर के पद पर नियुक्त कराने, पन्द्रह हजार रुपये मासिक वेतन दिलाने की कहकर बारह हजार रुपये जमा करा लिये तथा कंपनी की एजेन्सियों खुलवाने और प्रत्येक एजेन्सी के लिये 2250 रुपये क दर से बोनस दिलाने का प्रलोभन देते हुए 37 एजेन्सियों के रूप में उससे 1,53,920 रुपये जमा करा लिये। किन्तु न तो कोई नौकरी दी न ही एजेन्सियों का कोई बोनस दिया। और प्रत्येक एजेन्सी के लिये 1,55,000 रुपये की दवाईयाँ प्रदान करने तथा एजेन्सी होल्डर को ग्यारह माह का 7500 रुपये की दर से किराया दिलाने का भी आश्वासन दिया। किन्तु उसे भी पूरा नहीं किया। फिर उसे कंपनी के ही नागरिक मेल अखबार का ब्यूरो चीफ बनाने के लिये और 12500 रुपये उसका

वेतन देने का भी प्रलोभन दिया किन्तु कोई राशि नहीं दी। केवल बतौर एडवांस 5000 रुपये एवं दो बार आधा आधा वेतन ही दिया और नये ग्राहकों को अखबार विक्रेता बनाने के लिये कहते हुए 2000 रुपये प्रतिग्राहक की दरा से भी 10000 रुपये जमा करा लिये। उसके अलावा अन्य लोगों से भी पैसे जमा कराये और केदारी शर्मा के अखबार के लिये 28800 रुपये जमा करा लिये। किन्तु न तो अखबार भेजा न ही वेतन दिया।

11. उक्त घटना के संबंध में फरियादी जगदीशसिंह नामधारी द्वारा प्र0पी0-2 की स्थानीय सांसद नरेन्द्र तोमर को लेखी शिकायत की जिस परसे कार्यवाही हुई। और प्र0पी0-3 की एफ0आई0आर0 दर्ज की गई किन्तु प्र0पी0-2 के तथ्य अनुसार फरियादी जगदीश सिंह नामधारी अ0सा0-2 ने अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में स्पष्टतः इन्कार किया है। और यह कहा है कि उसने भी आरोपीगण के साथ उक्त कंपनी में काम किया था तथा पैसे विधिवत कंपनी में जमा हुए थे जिसकी रसीदें कंपनी के बतौर अधिकारी दी गई थीं और उसने यह समझा था कि जो पैसा कंपनी में जमा किया गया है वह आरोपीगण ने कंपनी में जमा नहीं किया। इसलिये उसने लिखित रिपोर्ट भ्रमवश कर दी थी। उसका यह भी कहना है कि कंपनी द्वारा लिया गया पैसा वापिस कर दिया गया है।
12. अ0सा0-2 के द्वारा प्र0पी0-2 की लेखी रिपोर्ट के वृत्तांत से इन्कार करते हुए आरोपीगण का उसमें कुछ भी संबंध या सरोकार होने का खण्डन करते हुए प्र0पी0-6 का पुलिस को कथन देने से इन्कार किया है। इस तरह से उक्त साक्षी पक्ष विरोधी हुआ है। और उसने अभियोजन के कथानक का समर्थन नहीं किया है। किन्तु उसने प्र0पी0-2 की लेखी रिपोर्ट पर एवं प्र0पी0-3 की एफ0आई0आर0 पर प्र0पी0-4 व 5 के जप्ती पत्रकों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। आरोपीगण से राजीनामा होना भी स्वीकार किया गया है। पैरा-6 में यह भी कहा है कि उसने एवं आरोपी हरेन्द्र व आर0के0 यादव ने कंपनी के विरुद्ध थाना इंदरगंज ग्वालियर में भी रिपोर्ट की थी जिसकी जांच चल रही है। उसी भ्रम में वह प्र0पी0-2 की रिपोर्ट करना कहता है। प्र0पी0-2 लगायत 5 पर वह अपने हस्ताक्षरों के बारे में यह कहता है कि उसने पुनः हस्ताक्षर कर दिये थे। प्र0पी0-2 कम्प्युटर से टाईप होने से व अन्य साथ वाले व्यक्तियों के द्वारा उसे लिखवाये जाने पर हस्ताक्षर करना कहता है। अंत में वह समयाभाव के कारण दस्तावेजों को बिना पढ़े हस्ताक्षर करना बताते हुए पैरा-7 में यह भी कहता है कि कैरिऑन हैल्थ केयर कंपनी प्रा0लि0 कार्पोरेट कार्य मंत्रालय से रजिस्टर्ड है जिसका प्र0डी0-1 व प्र0डी0-2 का दस्तावेज होना वह कहता है। तथा उसने यह भी बताया है कि जो रसीदें उसे दी गई थीं उनमें आरोपीगण के द्वारा कोई काटछांट या जालसाजी नहीं की गई थी और उसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की गई। तथा प्र0पी0-4 व प्र0पी0-5 के द्वारा पुलिस ने क्या दस्तावेज जप्त किये थे, यह भी उसे याद नहीं है। तथा प्र0पी0-2 की लेखी रिपोर्ट में जिस राशि का उल्लेख किया गया है वह कंपनी द्वारा वापिस कर दी गई है।
13. इस तरह से अ0सा0-2 का अभिसाक्ष्य आरोपीगण के विरुद्ध नहीं है किन्तु उक्त मामला उसके द्वारा प्र0पी0-2 की लेखी शिकायत पर आधारित है

जिसमें रिपोर्ट के तथ्यों से संबंधित दस्तावेजों को भी साथ में संलग्न कर दिया जाना बताया गया है। उक्त साक्षी की समयाभाव में बिना पढ़े हस्ताक्षर करने की बात ग्राह्य योग्य नहीं है। न ही वह स्वाभाविक है। क्योंकि प्र०पी०-२ के तथ्य इस प्रकार के नहीं हैं कि अज्ञात व्यक्ति उसे लिखा सके। उक्त साक्षी ने प्र०पी०-२ की लेखी रिपोर्ट किसके द्वारा लिखाई गई इस बाबत भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। ऐसे में प्र०पी०-२ उसके द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट मानी जावेगी जिसके तथ्यों से वह इन्कार करता है। जबकि रिपोर्ट वह एक ओर भ्रमवश करना भी कहता है। इससे उक्त साक्षी के द्वारा या तो लोक सेवक को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही करने हेतु गलत रिपोर्ट की गई है या उसने न्यायालय में शपथ पर असत्य कथन किया गया है। दोनों में से एक स्थिति स्पष्ट रूप से स्थापित होती है। ऐसे में उक्त साक्षी मिथ्या साक्ष्य गढ़ने या देने के लिये अभियोजित किये जाने योग्य है।

14. फरियादी जगदीशसिंह नामधारी के द्वारा हेराफेरी किये जाने के संबंध में कंपनी के विरुद्ध रिपोर्ट करने का समर्थन नीरज गुप्ता अ०सा०-७ ने भी पैरा-२ में किया है। जो भी कंपनी से पीड़ित होना स्वयं को बताता है। हालांकि उसने भी कंपनी के द्वारा पैसे वापिस करने की बात कहते हुए आरोपीगण के विरुद्ध अभिसाक्ष्य नहीं दिया है। किन्तु उससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि जगदीशसिंह नामधारी द्वारा ही प्र०पी०-२ का शिकायती आवेदन दिया गया और चूंकि मामला लेखीय रिपोर्ट पर आधारित है। इसलिये यह उपधारणा की जायेगी कि जगदीशसिंह नामधारी अ०सा०-२ के द्वारा निजी जानकारी के आधार पर प्र०पी०-२ की कार्यवाही की गई है।
15. संजू बंसल अ०सा०-३ जो कि अपने अभिसाक्ष्य में स्वयं के साथ आरोपीगण के द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी करने से इन्कार करता है। उसने पैरा-२ में यह कहा है कि फरियादी जगदीशसिंह नामधारी की पहले गोहद चौराहा पर मेडिकल स्टोर की दुकान थी जिसे वह जानता है। और कैरिऑन हैल्थ केयर कंपनी में उसने भी पैसे जमा किये थे। इसके अलावा गुरुदयाल बंसल, विनोद दुबे, लखनसिंह, हरेन्द्र प्रजापति व अरविन्द शर्मा व अन्य लोगों ने भी पैसे जमा किये थे। किन्तु उसने अ०सा०-२ की तरह ही आरोपीगण द्वारा कोई प्रलोभन देकर कोई राशि प्राप्त करना या किसी दस्तावेज की कूट रचना करने सहित प्र०पी०-२ में बताये गये छल की घटना से इन्कार करते हुए कहा है कि उसने आरोपीगण को कंपनी में काम करते हुए देखा था। वह प्र०पी०-७ का पुलिस को कथन देने से इन्कार करते हुए आरोपीगण के विरुद्ध कोई अभिसाक्ष्य नहीं देता है। उसे भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया था। जिसने पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी कथानक का समर्थन नहीं किया है। आरोपीगण को उक्त कंपनी में काम करते हुए वह देखने की अवश्य पुष्टि करता है जिससे इस बात को बल मिलता है कि आरोपीगण कैरिऑन हैल्थ केयर कंपनी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं किन्तु उसने आरोपीगण द्वारा किसी भी प्रकार से जान से मारने की धमकी दिये जाने का भी समर्थन नहीं किया है। उसका कथन भी आरोपीगण के विरुद्ध नहीं है।
16. केदारप्रसाद शर्मा अ०सा०-४ जो कि आरोपी कप्तान के धारा-२७

साक्ष्य विधान के तहत लिये गये मेमो कथन एवं प्र0पी0-5 का जप्ती पत्र जिससे चार दस्तावेज जप्त बताये गये हैं, उक्त साक्षी प्र0पी0-5 व 8 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करता है। किन्तु उसमें क्या लिखा था इसकी जानकारी से इन्कार करते हुए वह यह कहता है कि जब उसने हस्ताक्षर किये थे तब दस्तावेज पर कुछ नहीं लिखा था। वह प्र0पी0-9 का पुलिस को कथन देने से इन्कार करते हुए आरोपीगण के द्वारा उससे 28800/-रूपये जमा कराने और रसीद काटकर देने व धोखाधड़ी से रूपये हडप लेने की घटना से इन्कार कर इस बात से भी इन्कार किया है कि आरोपीगण ने उसे नागरिक मेल अखबार में नौकरी के लिये प्रलोभन दिया। इस तरह से उक्त साक्षी का अभिसाक्ष्य भी आरोपीगण के विरुद्ध नहीं है।

17. बॉबी गुप्ता अ0सा0-6 एवं नीरज गुप्ता अ0सा0-7 जो दोनों सगे भाई हैं और प्र0पी0-10 के जप्ती पत्र के साक्षी हैं। प्र0पी0-10 के जप्ती पत्र द्वारा नीरज गुप्ता से आरोपी आर0के0 यादव द्वारा 4160 रूपये की रसीद क्रमांक-2694 तथा उसको कप्तानसिंह यादव के अण्डर में काम करने हेतु दिया गया वैल्कम लेटर (नियुक्ति पत्र) कैरिऑन हैल्थ केयर कंपनी का सर्टिफिकेट, दवाओं के नाम की पैम्प्लेट, नागरिक मेल अखबार का कट्टा एवं स्टॉप और एक नागरिक मेल अखबार की प्रति जप्त करना बताया गया है जिससे दोनों ही साक्षी इन्कार करते हैं और दोनों ने अपने अभिसाक्ष्य में कैरिऑन हैल्थ केयर कंपनी में आरोपीगण के साथ काम करना बताते हुए कंपनी द्वारा पैसे वापिस करने की बात कही गई है। जिसमें बॉबी गुप्ता कर्मचारी की हैसियत से और नीरज गुप्ता सैल्समेन की हैसियत से काम करना बताता है। किन्तु आरोपीगण के द्वारा कोई प्रलोभन देना या किसी दस्तावेज की कूट रचना से भी वह इन्कार करते हैं। उक्त दोनों साक्षियों ने भी प्र0पी0-10 पर अपने हस्ताक्षर बताते हुए यह कहा है कि जब उन्होंने हस्ताक्षर किये थे तब उसमें कुछ नहीं लिखा था तथा अ0सा0-7 ने यह भी कहा है कि जो रसीदें दी गई थीं वह कंपनी के अधिकृत व्यक्ति की हैसियत से दी गई थी और कंपनी पूर्व में भी रजिस्टर्ड थी, वर्तमान में भी रजिस्टर्ड है व भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। और जमा किया गया पैसा कंपनी द्वारा लौटा दिया गया है। इस प्रकार से उक्त दोनों साक्षी प्र0पी0-10 के जप्ती पत्र पर अपने हस्ताक्षर तो स्वीकार करते हैं किन्तु दस्तावेजों की जानकारी का अभाव बताते हैं और उनकी अभिसाक्ष्य आरोपीगण के विरुद्ध नहीं आई हैं। उन्हें भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया है।

18. गुरुदयाल अ0सा0-8 जिसे भी पीडित बताया गया है, उसने भी अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण और फरियादी जगदीशसिंह नामधारी के संबंध में यह कहा गया है कि जगदीशसिंह नामधारी की गोहदचौराहा पर मेडिकल की दुकान है लेकिन आरोपीगण और जगदीश सिंह नामधारी से उसकी पैसे जमा करने या निकालने के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई थी। न कोई लिखापट्टी हुई। और उसने कोई पैसे जमा नहीं किये। न ही उसने उक्त कंपनी में कोई नौकरी की। इस तरह से वह पूर्णतः पक्ष विरोधी है। और उसने प्र0पी0-12 का पुलिस कथन देने से भी इन्कार किया है जिसमें आरोपीगण के द्वारा कैरिऑन हैल्थ केयर कंपनी की एजेन्सी व अखबार आदि के संबंध में

प्रलोभन देते हुए राशि कराये जाने का आक्षेप किया गया था और रसीदों की कूट रचना बताई थी जिससे वह इन्कार करता है। पुलिस द्वारा पूछताछ किये जाने से भी वह इन्कार करता है।

19. शैलेन्द्र कुमार प्रजापति अ0सा0-9 जिसे भी घटना का पीडित व्यक्ति बताया गया है, उसने अपनी अभिसाक्ष्य में आरोपीगण एवं फरियादी जगदीशसिंह नामधारी को पहचानना बताते हुए यह कहा है कि उसने भी कैरिऑन हैल्थ केयर कंपनी में एक्जीक्यूटिव कर्मचारी के पद का कार्य किया था। और आरोपीगण के साथ मिलकर कंपनी के लिये पैसे जमा किये थे जो पैसा वापिस हो चुका है। उक्त साक्षी ने प्र0पी0-4 के जप्ती पत्रक और प्र0पी0-8 के आरोपी कप्तान के मेमोरेण्डम कथन पर अपने साक्षी के तौर पर हस्ताक्षर करते हुए यह भी स्वीकार किया है कि वह बीएससी शिक्षित है और उसे इस बात की जानकारी है कि किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। किन्तु वह प्र0पी0-4 व 8 के संबंध में यह कहता है कि पुलिस ने उसे पढ़ने नहीं दिया था। और उसने पुलिस के कहने से हस्ताक्षर कर दिये थे। किन्तु वह प्र0पी0-8 के मेमो में आरोपी कप्तान के द्वारा पुलिस अभिरक्षा में दी गई जानकारी से इन्कार करता है जो ए से ए भाग में बताई है जिसके बी से बी भाग पर वह अपने हस्ताक्षर होना कहता है तथा इस बात से भी उसने इन्कार किया है कि प्र0पी0-4 में उल्लेखित 16 दस्तावेज उसके सामने जप्त हुए तथा उसे भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया है।
20. विनोद दुबे अ0सा0-10 जिसे भी पीडित बताया गया है, ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण को पहचानने से इन्कार किया है। फरियादी जगदीशसिंह नामधारी की गोहद चौराहा पर मेडिकल की दुकान बताते हुए यह कहा है कि पुलिस ने उसके सामने जगदीश सिंह नामधारी से कुछ कागज जप्त किये थे जिसका जप्ती पत्र प्र0पी0-4 बनाया गया था लेकिन उसमें क्या क्या जप्त किया गया था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। इसी प्रकार केदारप्रसाद शर्मा से प्र0पी0-5 के जप्ती पत्र अनुसार क्या कागजात जप्त हुए, इसकी भी उसे जानकारी नहीं है। और उसने केदार से उसके सामने कोई दस्तावेज जप्त होने से इन्कार किया है। उमाशंकर शर्मा से प्र0पी0-13 अनुसार कागज जप्त करने से भी वह इन्कार करता है और आरोपीगण के द्वारा कूट रचना या धोखाधड़ी के संबंध में प्र0पी0-2 में बताये गये कथानक से इन्कार करते हुए वह प्र0पी0-14 का पुलिस को कथन देने से इन्कार करता है। वह भी बी0ए0 तक शिक्षित है और उसे भी इस बात की जानकारी है कि किसी भी कागज को पढ़कर हस्ताक्षर करना चाहिए। लेकिन उसने भी पुलिस के द्वारा कागज न पढ़ने देने की बताते हुए प्र0पी0-4 व 5 पर हस्ताक्षर के समय उनमें कुछ न लिखा होना कहा है। इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य उमाशंकर शर्मा अ0सा0-11 ने भी दिया है जिसने प्र0पी0-13 के जप्ती पत्र पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं किन्तु इस बात से इन्कार किया है कि पुलिस ने उससे कैरिऑन हैल्थ केयर कंपनी से संबंधित रसीदें व नागरिक मेल अखबार से संबंधित तीन पत्र जप्त किये थे। इस साक्षी ने भी कथानक से इन्कार कर प्र0पी0-15 का पुलिस को कथन देने से इन्कार करते

हुए प्र0पी0-14 पर हस्ताक्षर के समय वह खाली प्रोफार्मा के रूप में होना बताया है और उसे भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया है।

21. इस प्रकार से प्रकरण के पीडित व्यक्ति जगदीशसिंह नामधारी अ0सा0-1, संजू बंसल अ0सा0-2, केदारशर्मा अ0सा0-3, बॉबी गुप्ता अ0सा0-6, नीरज गुप्ता अ0सा0-7, गुरुदयाल अ0सा0-8, हरेन्द्र प्रजापति अ0सा0-9, विनोद दुबे अ0सा0-10 और उमाशंकर शर्मा अ0सा0-11 के द्वारा पक्ष विरोधी रहते हुए आरोपीगण के विरुद्ध अभिसाक्ष्य नहीं दिया है। इसलिये शेष साक्षी जिनमें हस्तलेख विशेषज्ञ और पुलिस के साक्षीगण हैं, उनके अभिसाक्ष्य के आधार पर यह देखना होगा कि क्या दस्तावेज शेष साक्षियों से प्रमाणित होते हैं या नहीं ? क्या मामला युक्तियुक्त संदेह के परे बताये गये कथानक अनुसार प्रमाणित होता है ? क्योंकि आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा झूठा अपराध पंजीबद्ध होना बताते हुए यह तर्क किया गया है कि कैरिऑन हैल्थ केयर कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है जिसके आरोपीगण कर्मचारी हैं। और पैसा कंपनी द्वारा लिया गया था जो कंपनी द्वारा ही वापिस किया गया है और उन्हें अकारण ही अभियोजित किया गया है। इस तथ्य को अभिलेख पर उपरोक्त अ0सा0-2 लगायत अ0सा0-4 एवं अ0सा0-6 लगायत अ0सा0-11 के अभिसाक्ष्य से बल मिलता है जो सभी पक्ष विरोधी होकर कथानक का समर्थन नहीं कर रहे हैं।
22. अन्य परीक्षित साक्षियों में से आरक्षक उदयसिंह अ0सा0-1 के प्र0पी0-1 के गिरफ्तारी पंचनामा का साक्षी है जिसके द्वारा आरोपी हरेन्द्र निगम को दिनांक 13.11.13 को उसके घर से गिरफ्तार करना बताया है और उपनिरीक्षक गिरीश कुमार कवरेती अ0सा0-5 ने उक्त गिरफ्तारी करना बताते हुए इस बात से इन्कार किया है कि पूछताछ के बहाने बुलाकर झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया है। उक्त दोनों साक्षियों की अभिसाक्ष्य से आरोपी हरेन्द्र निगम की गिरफ्तारी मात्र प्रमाणित होती है किन्तु गिरफ्तारी मात्र से यह उपधारित नहीं किया जा सकता है कि आरोपी हरेन्द्र निगम द्वारा प्र0पी0-2 में बताई गई घटना के किसी भी कृत्य में आपराधिक आशय से शामिल रहा या उसके द्वारा कोई प्रलोभन दिया गया और कंपनी के नाम पर राशि प्राप्त की। बल्कि प्र0डी0-1 व 2 के दस्तावेजों एवं अ0सा0-2 लगायत 4 व अ0सा0-6 लगायत 11 के अभिसाक्ष्य में कैरिऑन हैल्थ केयर कंपनी लिमिटेड के अस्तित्व में होने के संबंध में आये बिन्दुओं से उक्त कंपनी काल्पनिक होना स्थापित नहीं होती है बल्कि वह अस्तित्व में है। जिसमें आरोपीगण एवं फरियादी जगदीशसिंह नामधारी व पैसे जमा करने वाले उक्त पीडित व्यक्ति भी कार्यरत रहे हैं और आरोपीगण के संबंध में उक्त साक्षियों के कथनों में ऐसी साक्ष्य नहीं आई है जो उनके द्वारा किसी प्रकार के छल, कपट, कूट रचना या प्रलोभन के तथ्यों को स्थापित कर सके।
23. प्रकरण में जप्त किये गये दस्तावेजों के संबंध में पुलिस मुख्यालय भोपाल के अंतर्गत हस्तलेख विशेषज्ञ से भी जांच कराई गई जिसके संबंध में साक्षी राजेन्द्र वर्मा अतिरिक्त राजकीय परीक्षक विवादित दस्तावेज पी0एच0क्यू0 भोपाल को परीक्षित कराया गया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में विशेषज्ञ के तौर पर साक्ष्य देते हुए अपनी शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के आधार पर यह

बताया है कि वह मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा अतिरिक्त राजकीय परीक्षक विवादित दस्तावेज है। उसने थाना गोहद चौराहा के अप0क्र0-33/11 में जप्त विवादित हस्तलिपि एवं उसके मिलान हेतु संदेही व्यक्तियों की हस्तलिपियाँ प्राप्त होने पर उनकी जांच की थी। जांच उपरान्त प्र0पी0-47 की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जो उसनसे प्र0पी0-16 लगायत प्र0पी0-22 की रसीदों के हस्ताक्षर एवं आरोपी कप्तानसिंह के लिये गये नमूना हस्ताक्षर जो प्र0पी0-23 लगायत प्र0पी0-34 तक है। तथा आरोपी राजेन्द्र यादव के नमूना हस्ताक्षर जो प्र0पी0-35 लगायत 40 हैं एवं आरोपी राकेश उर्फ राकेन्द्र कुमार यादव के लिये गये नमूना हस्ताक्षर जो प्र0पी0-41 से प्र0पी0-46 हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्र0पी0-47 देना बताया है जिसमें हस्ताक्षरों का मिलान होता है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि प्र0पी0-16 से प्र0पी0-22 की रसीदों पर जारीकर्ता के रूप में जो हस्ताक्षर हैं, उनसे जो नमूना हस्ताक्षर उक्त तीनों आरोपीगण कप्तानसिंह, राजेन्द्र यादव और राकेश उर्फ राकेन्द्र कुमार यादव के हस्ताक्षरों से मिलान खाते हैं, जो कैरिऑन हैल्थ केयर कंपनी के कर्मचारी होना साक्ष्य से साबित होता है। और पीडित साक्षियों के द्वारा राशि जमा करने और वापिस प्राप्त हो जाना बताया है। हालांकि राशि वापिस प्राप्त होने का कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है किन्तु प्र0डी0-1 व प्र0डी0-2 से कंपनी का अस्तित्व स्थापित होता है। इसलिये प्र0पी0-16 से 22 की रसीदें कूटरचित दस्तावेजों की श्रेणी में नहीं आती हैं इसलिये हस्तलेख विशेषज्ञ का अभिमत आधारित रिपोर्ट प्र0पी0-47 आरोपीगण के विरुद्ध बताये गये कथानक के प्रमाणन हेतु सहायक नहीं पाये जाते हैं।

24. निरीक्षक नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी अ0सा0-14 ने प्र0पी0-2 की लेखी रिपोर्ट एस0डी0ओ0पी0 कार्यालय गोहद के पत्र सहित प्राप्त होने पर उसके आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध प्र0पी0-3 की एफआईआर लेखबद्ध करना और विवेचक एसआई बी0एल0बंसल को सौंपना बताया है। उक्त साक्षी की अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि प्र0पी0-3 की एफ0आई0आर0 प्र0पी0-2 के विवरण की ही प्रति है। किन्तु प्र0पी0-2 के विवरण को उसके रिपोर्टकर्ता जगदीशसिंह नामधारी अ0सा0-2 ने ही खण्डित किया है। दूसरे महत्वपूर्ण साक्षी केदार शर्मा ने भी उसका समर्थन किया है न ही पीडित बताये गये अन्य व्यक्ति संजू बंसल, बॉबी गुप्ता, नीरज गुप्ता, गुरुदयाल, शैलेन्द्र प्रजापति, विनोद दुबे, उमाशंकर ने कोई समर्थन किया है। इसलिये अ0सा0-14 के अभिसाक्ष्य के आधार पर प्र0पी0-3 की एफ0आई0आर0 को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।
25. घटना के विवेचक उपनिरीक्षक बी0एल0 बंसल अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में उक्त अपराध की विवेचना प्राप्त होने पर दिनांक 29.03.11 को फरियादी जगदीशसिंह नामधारी के पेश करने पर दस्तावेजों को प्र0पी0-4 का जप्ती पत्र बनाकर जप्त करना बताया है जिस पर जगदीश सिंह नामधारी भी अपने हस्ताक्षर बताता है। और प्र0पी0-4 के पंच साक्षी शैलेन्द्र कुमार व विनोद दुबे ने भी अपने हस्ताक्षर बताये हैं किन्तु जप्ती का समर्थन नहीं किया है। यदि विवेचक की अभिसाक्ष्य से प्र0पी0-4 का जप्ती पत्र प्रमाणित मान भी

लिया जावे तो उससे आरोपीगण के द्वारा किसी दस्तावेज की कूट रचना या फरियादी व अन्य हितग्राहियों को किसी प्रकार का कोई प्रलोभन देते हुए कोई राशि प्राप्त करना प्रमाणित नहीं होता है।

26. इसी प्रकार उक्त विवेचक के द्वारा दिनांक 05.04.11 को केदार प्रसाद शर्मा के पेश करने पर प्र0पी0-5 अनुसार दस्तावेजों को जप्त करना बताया है। प्र0पी0-5 पर केदारशर्मा और साक्षी जगदीशसिंह नामधारी और विनोद दुबे ने हस्ताक्षर तो स्वीकार किये हैं किन्तु दस्तावेजों से स्पष्ट इन्कार किया है। यदि उसे भी उक्त विवेचक की साक्ष्य के आधार पर ही प्रमाणित मान भी लिया जावे तो उससे भी कूटरचना, छल प्रलोभन आदि की पुष्टि नहीं होती है।

27. इसी प्रकार प्र0पी0-8 के मेमोरेण्डम की स्थिति है, जिसमें आरोपी कप्तानसिंह के ए से ए भाग में अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर जगदीशसिंह नामधारी से धोखाधड़ी करके 12000 रुपये अपनी बैंक के खाता क्रमांक-763035713146 में जमा करना बताया है जिसमें से पंच साक्षियों में से कम से कम एक साक्षी का समर्थन आवश्यक था किन्तु उक्त दस्तावेज के पंच साक्षी शैलेन्द्र कुमार व केदार प्रसाद शर्मा में से किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया है। प्र0पी0-10 के जप्ती पत्र मुताबिक नीरज से दस्तावेज जप्त होना बताया है जिसका भी पंच साक्षी बॉबी गुप्ता से समर्थन नहीं है। प्र0पी0-13 के अनुसार उमाशंकर शर्मा से रसीदें व नागरिक मेल विज्ञप्ति का पत्र प्राप्त करना बताया है जिसका भी पंच साक्षी ने समर्थन नहीं किया है। इस तरह से जो दस्तावेज उक्त विवेचक के द्वारा अनुसंधान के दौरान जप्त किये गये उनसे कूटरचना की जहाँ एक ओर पुष्टि नहीं होती है वहीं दूसरी ओर उनकी जप्ती भी संदिग्ध है इसलिये विवेचक की साक्ष्य के आधार पर प्र0पी0-3, 4, प्र0पी0-8, प्र0पी0-10, प्र0पी0-13 के दस्तावेज प्रमाणित नहीं होते हैं। प्र0पी0-49 के द्वारा आरोपी कप्तानसिंह की स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर बैंक की पासबुक एवं ढाई हजार रुपये की जप्ती बताई गई है जिससे संबंधित कोई पंच साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। प्र0पी0-48 के द्वारा आरोपी कप्तान को दिनांक 10.05.11 को गिरफ्तारी की गई है और राकेश यादव की गिरफ्तारी प्र0पी0-50 मुताबिक दिनांक 22.05.11 की है। गिरफ्तारी करना आरोपीगण ने भी स्वीकार किया है किन्तु झूठा फंसाना कहा है। इसलिये गिरफ्तारी मात्र से आरोप प्रमाणित नहीं हो सकते हैं।

28. उक्त विवेचक ने अनुसंधान के दौरान फरियादी जगदीशसिंह नामधारी का प्र0पी0-6 का कथन, संजू बंसल का प्र0पी0-7, केदारशर्मा का प्र0पी0-9, नीरज गुप्ता का प्र0पी0-11, गुरुदयाल का प्र0पी0-12, विनोद दुबे का प्र0पी0-14, और उमाशंकर का प्र0पी0-15 का कथन लेना बताया है। किन्तु उसका उक्त संबंधित साक्षियों ने खण्डन किया है और वृत्तांत का समर्थन नहीं किया है। विवेचक से समस्त दस्तावेजों के संबंध में प्रतिपरीक्षा में पैरा-5 में भी स्पष्टीकरण लिया गया है। हालांकि उक्त साक्षी ने पैरा-4 में विवेचना गंभीरता से न किये जाने का खण्डन किया है।

29. उक्त विवेचक ने पैरा-3 में यह भी स्वीकार किया है कि कैरिऑन हेल्थ केयर कंपनी की जो रसीदों के संबंध में जांच प्राप्त हुई थी, उस कंपनी के संबंध में जांच के दौरान उसे ऐसा पता चला था कि उक्त नाम की वास्तव में

कोई कंपनी ही नहीं है। उसने कंपनी का पता लगाने में ग्वालियर और नोयडा में भी जांच पड़ताल की थी लेकिन यह स्वीकार किया है कि उसने जांच पड़ताल के लिये कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार को कोई पत्र जारी करके कंपनी के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं की। केवल वह मौखिक जानकारी लेना बताता है लिखित में जानकारी नहीं की कि कैरिऑन हैल्थ केयर सेन्टर कंपनी के नाम से कोई कंपनी पंजीकृत है या नहीं। उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह नोयडा जांच के लिये स्वयं नहीं गया था। कंपनी के मुख्यालय के संबंध में उसने किसी साक्षी से पूछताछ नहीं की न ही आरोपी कप्तान से पूछताछ की कि मुख्यालय कहाँ हैं उसने कंपनी की सत्यता की जानकारी के लिये इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश जाकर भी कोई जानकारी नहीं ली। इस तरह से उक्त विवेचक की साक्ष्य में यह तथ्य आया है कि उसने कंपनी के अस्तित्व के संबंध में अनुसंधान नहीं किया है। और साक्ष्य में तथा प्र०डी०-1 व 2 के आधार पर कंपनी के अस्तित्व में होने की पुष्टि होती है इसलिये भी जो आरोप विचाराधीन है, वे युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होते हैं।

30. इस तरह से उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध साक्ष्य अभाव में युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि उन्होंने कैरिऑन हैल्थ केयर कंपनी प्रा०लि० के पदाधिकारी गलत रूप से प्रमाणित करते हुए फरियादी जगदीशसिंह नामधारी या अन्य हितग्राहियों से कोई राशि असत्य प्रलोभन देते हुए प्राप्त की। और किसी दस्तावेज की कूटरचना की जिसका स्वयं के लाभ के लिये उपयोग में लिया और उसके माध्यम से छल कारित किया। अभिलेख पर किसी प्रकार की आरोपीगण या उनमें से किसी के द्वारा भी किसी भी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देने का भी साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण जगदीशसिंह नामधारी जिससे उनका समझौता हो गया है, उसे छोड़कर अन्य पीडित व्यक्तियों के साथ छल कारित करने, प्रलोभन देने, किसी दस्तावेज की कूट रचना स्वयं के लाभ के लिये करते हुए उपयोग में लाये जाने की भी पुष्टि नहीं होती है। फलतः आरोपीगण को धारा-420/34, 467/34, 468/34 एवं 506 भाग-2 भादवि के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

31. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

32. प्रकरण में जप्तशुदा आरोपी कप्तानसिंह की बैंक की पासबुक अपील अवधि उपरान्त उसे विधिवत वापिस की जावे। तथा प्र०पी०-4 के अनुसार जप्त दस्तावेज जगदीशसिंह नामधारी को प्र०पी०-5 मुताबिक, जप्त दस्तावेज केदार प्रसाद शर्मा को प्र०पी०-10 द्वारा जप्त दस्तावेज नीरज गुप्ता को और प्र०पी०-13 द्वारा जप्त दस्तावेज उमाशंकर शर्मा को अपील अवधि उपरान्त विधिवत वापिस किये जावें। तथा प्रकरण में जप्तशुदा रसीद प्र०पी०-16 लगायत 22 भी संबंधित कंपनी को अपील अवधि उपरान्त वापिस की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

33. प्रकरण के फरियादी जगदीशसिंह नामधारी के द्वारा जिस तरह का अभिसाक्ष्य दिया गया है उससे उसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना प्रकट होता है। इसलिये फरियादी जगदीशसिंह नामधारी के विरुद्ध पृथक से धारा-344 द0प्र0सं0 के तहत अपराध का संज्ञान लिये जाने हेतु परिवाद तैयार कर संबंधित जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय गोहद को भेजा जावे।

34. निर्णय की प्रति डी0एम0 भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांक: **16 अप्रैल-2015**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड